न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 46/2019/आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए

1 महावीर सीमार पुत्र गोविन्दराम जाति जाट
2 सांवरमल सीमार पुत्र कानाराम जाति जाट
3 पोखरमल पुत्र सुवालाल सीमार जाति जाट
निवासीगण झामावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

—आवेदकगण

बनाम

1 श्री इंडिया रियल लैण्ड डवलपर्स प्रा. लि. जरिये निर्देशक राजीवसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी खूडानियां तहसील चिडावा जिला झुन्झुनी।
2 पटवारी, पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3 उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, दांतारामगढ जिला सीकर।
4 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक, तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अनावेदकगण

आवेदन अं. धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1 श्री मूलचन्द धायल, वकील वादी ओर सें।

निर्णय दिनांक —**24.01.2020**

1 आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि विवादित आराजी ख.नं. 461 रकबा 0.48 है0 किस्म बारानी, ख.नं. 462/1 रकबा 1.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी हिस्सा 226/260 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अनावेदक संख्या 1 जो एक संस्था है, जिसने अपनी खातेदारी भूमियों को आवेदन पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज भूमियों को अपने हक हिस्सा को भूखण्डो को विक्रय हेतु भूखण्ड बना कर समय—समय पर विक्रय कर विक्रय की गयी। जिसमें दिनांक 20.12.2013 को आवेदकगण ने अलोदा रोड के पास एक भूखण्ड 0.0216 है0 यानि 216 वर्ग मीटर का क्रय कर विक्रय पत्र उपपंजीयन कार्यालय दांतारामगढ के यहां पंजीबद्व करवाया गया तथा उसी रोज इस भूखण्ड से सटता हुआ अलोरा रोड पर 66.66 वर्ग मीटर का भूखण्ड क्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2013 को ही उपपंजीयक दांतारामगढ के यहां पंजीकृत करवाया गया तथा मौके पर काबिज होकर आबाद है। जिसकी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

खातेदारी क्रेतागण के नाम न होकर अनावेदक संख्या 1 के नाम चली आ रही है। अनावेदक संख्या 1 ने एक दावा बाबत बटंवारा व अन्य सहायता का न्यायालय हाजा में पेश कर निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 15.10.2018 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2019 को बाला-बाला ही करवायी जाकर खातेदारी एकाकी जरिए नामान्तरण 3780 दिनांक 13.02.2019 को खसरा नम्बर 461/2 रकबा 0.2444 हे0, खसरा नम्बर 4140/462/3 रकबा 0.0298 हे0, खसरा नम्बर 4140/462/6 रकबा 0.4426 हे0, खसरा नम्बर 4140/462/3 रकबा 0.03 हे0 किता 4 कुल रकबा 0.7463 हे0 बारानी तृतीय लगान 2.24 रूपये कराई गयी। जिसकी जानकारी दिनांक 05.03.2019 को होने पर पटवारी हल्का से जमाबन्दी व दस्तावेज प्राप्त किये गये, तब इस निर्णय व डिक्री की जानकारी हुयी। अनावेदक संख्या 1 भू माफिया लोगो के बहकावे में आकर आवेदन पत्र के पैरा संख्या 1, 3 में दर्ज सम्पदा को एकाकी खातेदारी की आड में खुर्द बुर्द करना चाहता है। अनावेदक संख्या 1 को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है, लेकिन दिनांक 10.04.2019 को अनावेदक संख्या 1 भू माफिया गिरोह के लोगो को लेकर आवेदकगण के हक अधिकार व कब्जाशुदा भूखण्डो पर आकर विक्रय करने की चर्चा की। इस पर आवेदकगण ने अनावेदक संख्या 1 को समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करो, तो अनावेदक संख्या 1 ने कोई जवाब नहीं दिया, इस कारण आवदेकगण को पूर्ण अंदेशा है कि अनावेदक संख्या 1 वादग्रस्त सम्पदा को पुनः विक्रय कर आवेदकगण को बेदखल कर सकता है, इसलिए आवेदकगण को अपने हक अधिकारो की सुरक्षा के लिए उद्घोषणा का वाद पेश किया आवश्यक हुआ। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन वर्णित सम्पदा से आवेदकगण को बेदखल करने, खुर्द बुर्द करने, बेचना करने, किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण करने, मौका व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2 आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3 आवेदन में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण का आवश्यक हित निहित है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगणों के पक्ष में साबित होता है। सुविधा संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगणों के पक्ष में ही साबित होता है। अतः प्रार्थीगणों का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को तादौराने वाद पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 461, 462/1 किता 2 कुल रकबा 1.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 461/2 रकबा 0.2444 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 4140/462/3 रकबा 0.0298 हैक्टर, खसरा नम्बर 4140/462/6 रकबा 0.4426 हैक्टर, खसरा नम्बर 4140/462/8 रकबा 0.03 हैक्टर वाके ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner